<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)</u>
<u>बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस</u>
रा.प्रा.प.संख्या : 19/2015

प्रार्थी :–

1–सुखाराम पुत्र गिरधारीराम जाति माम्बी
निवासी जैसास रोहिट तहसील रियांबड़ी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1–रूकमादेवी पत्नि लाबुराम कोम मेघवाल
निवासी जैसास रोहिट तहसील रियांबड़ी
2–तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हलका गवारड़ी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश है :– – दि० 4-5-2016

1–यह है कि प्रार्थी की खातेदारी का काश्त व कब्जासुदा खेत खसरा नंबर 44 रकबा 1.23 हैक्टर आया हुआ है। जो ग्राम जैसास रोहिट में स्थित है।

2–यह है कि ग्राम जैसास रोहिट की सरहद में अप्रार्थीनी रूकमाई की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद खेत खसरा नंबर 39/369 रकबा 0.32 हैक्टर स्थित है। उक्त अप्रार्थीया का खेत खसरा नंबर 39/269 आराजी प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 44 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर स्थित है। उक्त खसरा नंबर 39/269 के दक्षिणी तरफ जैसास रोहिट से लाम्पोलाई जाने का मुख्य रास्ता स्थित है। व इसके पास ही आबादी आयी हुई है। उक्त रास्ता आबादी में है। उक्त रास्ता पर ब्लॉक बिछाये हुए है।

3–यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 44 में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 39/269 के पश्चिम तरफ प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ रास्ता अप्रार्थीनी के खेत के पश्चिमी तरफ माठ के सहारे सहारे जाता है जो प्रार्थी उक्त रास्ता आगे ग्राम जैसास रोहिट से लाम्पोलाई जाने वाली सड़क पर मिलता है। जो उक्त रास्ता खसरा नंबर 39/269 के पश्चिम माठ के सहारे सहारे चलता है वो कदीम से पीढीयों से है। प्रार्थी के पूर्वज पहले उपयोग में रास्ता को लेते थेव अब प्रार्थी उक्त रास्ता को उपयोग में लेते है। मवेशी आदी लाने ले जाने के काम में लेते है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 39/269 में स्थित के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता 20 फुट चौड़ा रास्ता है। परंतु उक्त रास्ता को अप्रार्थीया बंद करने पर आमादा है। अप्रार्थीया ने ऐलानियां कहा की वह रास्ता बंद कर देगी और प्रार्थी को आने जाने नही देगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र 251 ए के तहत बाबत रास्ता दिलाने का पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृपया प्रार्थी के खातेदारी के खेत जो वाके ग्राम जैसास रोहिट मे स्थित खसरा नंबर 44 रकबा 1.23 हैक्टर प्रार्थी का खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है। उक्त खेत में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीनी नंबर एक के खेत खसरा नंबर 39/269 की जमीन में पश्चिमी माठ के सहारे सहारे 20 फुट चौड़ा रास्ता ग्राम जैसास रोहिट से लाम्पोलाई जाने वाली सड़क से अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के पश्चिमी माठ के सहार सहारे प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतू रास्ता कायम करावें।जिसकी प्रार्थी नियमानुसार फीस जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के जबाब हेतू तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील घनश्याम खालिया ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब हेतू समय चाहा गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो शामिल मिसल है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 बमुकाम कैम्प गवारड़ी में पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.7.2017 को तैयार की गई जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के निर्देश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पुनः मौका रिपोर्ट कैम्प में प्रस्तुत की गई। अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा नंबर 39/269 में मौके पर दिशा पूर्व दक्षिण व पश्चिम में पक्की दीवार बनी है। पश्चिम की दीवार

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट गवारड़ी
जि. नागौर

छोटूराम चौकीदार के बंट तक बनी है। शेष 25–30 फुट दीवार नहीं है। मौके पर आवासीय कमरा व चद्दर छपरा पोश निर्माण है। एंव यह परिसर गैर कृषि उपयोग में आ रहा है। खसरा नंबर 39/269 किसी रेकोर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। बल्कि खसरा नंबर 43 से जुड़ा है। जिसमें मौके पर आवागमन का रास्ता है। लेकिन रेकोर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 39/269 में मौके पर गैर कृषि प्रयोजन होने से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है।

2–इसके अलावा अन्य वैकल्पिक मार्ग जो खसरा नंबर 48,46,16,32 से प्रस्तावित किया था जिसके खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त खातेदारो को सुना जाकर ही कार्यवाही की जाना उचित रहेगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व रिपोर्ट दिनांक 11.7.17 व वर्तमान रिपोर्ट दिनांक 4.5.2018 का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का भी अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 44 में जाने के लिए अप्रार्थीया के खेत खसरा नंबर 39/269 में सें रास्ते की मांग की गई है। मगर खसरा नंबर 39रु269 में मौके पर दिशा पूर्व दक्षिण व पश्चिम में पक्की दीवार बनी हुई है। जो छोटूराम चौकीदार के बंट तक है। आगे दीवार नही है। आवासीय कमरा व चारा डालने के लिए छप्पर पोश का निर्माण किया हुआ है। खसरा नंबर 39/269 किसी रेकोर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। बल्कि खसरा नंबर 43 से जुड़ा हुआ है। खसरा नंबर 43 से मौके पर आवागमन का रास्ता है जो रेकोर्डेड नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 39/269 में मौके पर गैर कृषि प्रयोजन होने से रास्ता दिया जाना भी सम्भव नहीं है। इसके अलावा प्रार्थी के लिए वैकल्पिक मार्ग खसरा नंबर 48,46,16,32 से प्रस्तावित किया था मगर उक्त खसरान के खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया। पक्षकारो को सुना जाकर ही अग्रिम कार्यवाही संभव है। खसरा नंबर 43 में सरकारी भूमि,ग्राम पंचायत भूमि,खातेदारो की भूमि है जिसकी तरमीम नहीं की हुई है। खसरा नंबर 43 में मकान व बाड़े बने हुए है। खसरा नंबर 43 के धिपता ही खसरा नंबर 39/269 है। मौका रिपोर्ट दिनांक 11.7.2017 के अनुसार आम रास्ते से खसरा नंबर 48,46 में सें होते हुए प्रार्थी को रास्ते की मांग करनी चाहिए।

अतः समस्त विवेचन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी के खसरा नंबर 44 में जाने के लिए जिस रास्ते की मांग की गई है वह किसी रेकोर्डेड रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। मांग किये रास्ते पर पक्का निर्माण किया हुआ है। और उसके आगे सरकारी भूमि,ग्राम पंचायत भूमि व खातेदारो की भूमि खसरा नंबर 43 आई हुई है। जिससे खसरा नंबर जुड़ा हुआ है और आवागमन का रास्ता है। लेकिन रेकोर्डेड नहीं है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नंबर 39/269 का मौके पर गैर कृषि प्रयोजन होने से रास्ता दिया जाना भी संभव नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 ए का खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
राजस्व लोक अदालत 18
कैम्प–गवारड़ी
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागौर

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प गवारड़ी मे सुनाया गया ।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
राजस्व लोक अदालत 18
कैम्प–गवारड़ी
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी जिला-नागौर